रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2018/आषाढ़ 4, 1940
No. 238] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2018/ASHADHA 4, 1940

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 जून, 2018

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018

सं. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/7.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ढ) खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है। नामतः :-

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण)विनियम, 2015 में:-

(I) मौजूदा विनियम 3 निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

3. केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन और आवेदन फीस-(1) कोई भी आवेदक जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूर्ण करता हो, प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित किए गए प्रपत्र में केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) वर्तमान का/के केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण/णों को इन संशोधित विनियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और अनुमोदित रहेंगे, अनुदत्त मूल अवधि के लिए एवं कोई भी विस्तार के साथ लागू होंगे, परन्तु ऐसे अभिलेखापाल अभिकरण/णों द्वारा इन विनियमों में किये गए संशोधनों के तहत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नया रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना होगा ।

परन्तु, इसके अतिरिक्त वर्तमान का केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार आवेदन करेगा तथा इस अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा । वर्तमान का केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, इस प्रयोजन के लिए, इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट सभी शुल्कों जिनमें वार्षिक शुल्क भी सम्मिलित है, का भुगतान करेगा ।

(3) प्राधिकरण अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों तथा यथा विनिर्दिष्ट अन्य मानदंडों के निबंधनानुसार आवेदकों की पात्रता का मूल्यांकन करेगा ।

(4) विद्यमान केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण तथा अन्य केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या अभिकरणों के बीच, यदि कोई नियुक्त किया गए अभिदाताओं का आबंटन, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अभिदाताओं के हितों में ज़ारी पारदर्शी मानदंड तथा प्रक्रिया के अनुसार होगा । केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण सदैव अभिनियम के प्रावधानों या उसके तहत प्राधिकरण द्वारा निर्मित नियमों या विनियमों, निदेशों, उसके तहत ज़ारी परिपत्रों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा । केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अभिदाता सेवा या मध्यस्थों की सेवाओं की गुणवत्ता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजना के तहत मध्यस्थता तथा अन्य परिचालन व्यय, मितव्ययी और युक्तियुक्त हो ।

(5) आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ प्राधिकरण को नई दिल्ली पर सन्देय दस लाख रुपए की अप्रतिदेय फीस का संदाय किया जाएगा ।

(II) मौजूदा विनियम 4 निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4. पात्रता मानदंड – एक आवेदक द्वारा केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए, इन विनियमों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड, प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर पूरा करना होगा ।

रजिस्ट्रीकरण हेतु, इन विनियमों के तहत, ऐसे अन्य मानदंडों के अतिरिक्त, पात्रता मानदंड जिन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता होगी निम्नलिखित होंगे, नामतः

(क) आवेदक, जो कि कोई कंपनी हो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य केंद्रीय अधिनियमिति के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत हो तथा आवेदन की तिथि से पूर्व, सेवा कर प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत और देश में पिछले पांच वर्ष से कार्य कर रही हो ।

(ख) आवेदक ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया हो, जो कि आवेदन की तिथि से पूर्व हो, तथा पिछले दो वर्षों के दौरान उपगत नकद हानि नहीं होनी चाहिए ;

(ग) आवेदक, उसके निदेशक, प्रधान अधिकारी को किसी विनियामक प्राधिकरण या सरकारों (केंद्रीय और राज्य) द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए या उसे किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो या किसी आर्थिक अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया होना चाहिए;

(घ) आवेदक के पास सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्य और पर्याप्त रूप से अर्हक और अनुभवी जनबल; प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुसार हों जिनमें सेवा मानकों की आवश्यकताएं भी सम्मिलित हैं ।

(ङ) निम्नलिखित मापदंडों के सम्बन्ध में, रकमों, संख्यांक और अंकों, जो लागू हों, को प्राधिकरण द्वारा चयन प्रक्रिया के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा-

(i) आवेदक के पास पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, न्यूनतम सौ करोड़ की वास्तविक निवल संपत्ति होनी चाहिए, और आवेदक को विकासशील और प्रबंधन प्रौद्योगिकी आधारित केंद्रीय प्रशासन और अभिलेखापालन पद्धति का अनुभव होना चाहिए;

(ii) आवेदक के पास केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण तथा प्रशासनिक कार्यों का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ;

(iii) आवेदक के पास पूर्व तीन वर्षों में, प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 लाख व्यक्तिगत खातों के प्रबंधित करने का अनुभव होना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सामर्थ्य रखता हो तथा परिचालन एवं तकनीकी प्रबंधन के क्षेत्र में, न्यूनतम सौ योग्य तथा अनुभवी लोगों का पर्याप्त व्यावसायिक कर्मचारी जिनमें से कम से कम पच्चास कर्मचारी परिचालन और प्रौद्योगिक क्षेत्र के होने चाहिए;

(iv) आवेदक के पास विकासशील और प्रबंधन प्रौद्योगिकी आधारित केंद्रीय प्रशासन और अभिलेखापालन पद्धति में अनुभव होना चाहिए।

(v) आवेदक के पास, प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए न्यूनतम सीएमएमआई तृतीय स्तरीय प्रमाणन या उसके द्वारा व्यवसायिक परिचालन आरंभ करने के 12 महीनों के भीतर इसे प्राप्त किया जाना चाहिए।

(vi) केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण में किसी मध्यस्थ या उसके प्रायोजक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर धारिता चुकता पूंजी के चालीस प्रतिशत से कम होना चाहिए ।

(III) विनियम 8 के उप-विनियम (I) की उप-धारा (क) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क. क्या आवेदक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को और विनियम 4 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों को भी, पूर्ण करता है ;

(IV) विनियम 9 के उप-विनियम (1) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(1) आवेदक, विनियम 3 के तहत यथानिर्दिष्ट एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होने की बाबत, आवेदक से, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख को, प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सभी तकनीकी और वाणिज्यिक मापदंडों को पूरा करने की अपेक्षा होगी ।

(V) विनियम 9 के उप-विनियम (3) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(3) प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने पर कि आवेदक अधिनियम, नियमों के तहत तथा इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट, जिसमें विनियम 4 के प्रावधान भी सम्मिलित है, में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूर्ण करता है, तो अनुसूची I के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा तथा इसकी सूचना आवेदक को प्रदान करेगा ।

(VI) विनियम 10 के उप-विनियम (1) की उप-धारा(ख) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ख) वह सभी समयों पर पात्रता मापदंडों को और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेगा :

परन्तु प्राधिकरण अभिदाताओं के हित में या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या उसके द्वारा विनियमित और प्रशासित और विनियमित अन्य योजना के क्रमिक विकास अथवा केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण उन शर्तों का पालन करेगा ;

(VII) विनियम 10 के उप-विनियम (3) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(3) अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, आवेदक को अनुदत्त प्रमाणपत्र, जब तक प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा उसे अभ्यर्पित न कर दिया गया हो या प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अनुसार उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, विधिमान्य रहेगा ।

(VIII) विनियम 14 के उप-विनियम (1) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(1) आवेदक, जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त की जाने की तारीख से छह माह के भीतर, वे संक्रियाएं जिनके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, प्रारंभ करेगा ।

परन्तु यदि इकाई यह महसूस करती है कि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर संक्रियाएं प्रारंभ करने में समर्थ नहीं होगा तो, छह माह की विनिर्दिष्ट समय-सीमा की अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्राधिकरण को लिखित आवेदन करके, दर्शाए जाने वाले कारण के साथ, विस्तारण की प्रार्थना कर सकेगा ।

(IX) विनियम 15 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

15. केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण की अवधि और उसका निष्क्रमण – (1) अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य बना रहेगा, जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, या ऐसी केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञप्त कर दिया जाए । रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिए जाने की दशा में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास रद्दकरण की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को सूचना के और उसके धारित विनियमित आस्तियों के व्ययन या अंतरण के बारे में अनुदेश देगा ।

(2) यदि केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किसी शर्त या खंड उल्लंघन करता है, तो उनके द्वारा इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त कर दी जाएगी ।

(X) विनियम 16 को निरस्त माना जाएगा ।

(XI) विनियम 17 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

17. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति या समर्पण होने की दशा में आस्तियों के अंतरण की प्रक्रिया- केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण की अवधि की समाप्ति पर विनियमित आस्तियों का प्रबंध निम्नलिखित रूप में होगा:-

(क) केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शून्य कीमत पर किसी अन्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी इकाई को अंतरित की जाएगी ।

(ख) कोई अन्य तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण एप्लीकेशन सिस्टम के प्रति शेल्फ विनिर्दिष्ट संघटक भी शून्य कीमत पर अन्य अभिलेखपाल अभिकरण को या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई को अन्तरित किये जाएंगे ;

(ग) प्राइमरी डाटा सेंटर और डिसास्टर रिकवरी सेक्टर दोनों स्तर पर अनावृत्त सिस्टम विनिर्दिष्ट हार्डवेयर (यदि कोई हो) इन आस्तियों के बही मूल्य के अनुसार अंतरित किया जाएगा ;

(घ) डाटाबेस नए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या किसी अन्य इकाई को शून्य कीमत पर अंतरित किया जाएगा;

(ङ) अन्तरणों के मुद्दे किन्हीं आनुषंगिक खर्चों को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा वहन किया जाएगा ।

(XII) विनियम 18 के उप-विनियम (1) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

18. केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण की भूमिका और उत्तरदायित्व – (1) केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण सामान्यतया अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय अभिलेखापाल, प्रशासन या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित अन्य किसी योजना के अधीन सभी अभिदाताओं के लिए ग्राहक सेवा कृत्यों के लिए प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर तथा साथ ही प्रचालन सेवा स्तर मानकों या किसी मानक प्रचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देशों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(XIII) विनियम 19 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

19.पणधारियों या मध्यवर्तियों को सेवा प्रदान करना- केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विभिन्न मध्यवर्तियों जैसे अभिदाताओं, न्यासी बैंक नोडल कार्यालयों (वेतन और लेखा कार्यालय या आहरण और वितरण अधिकारी या जिला खजाना अधिकारी या जिला खाजाना प्राधिकरण), उपस्थिति अस्तित्व, अन्य सेवा प्रदाता, पेंशन निधियां और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, के विभिन्न पणधारियों को जो मध्यवर्तियों के बीच अभिलेखपालन, प्रशासन तथा ग्राहक सेवा कृत्यों को, जिसके अंतर्गत विभिन्न विवरण, प्रबंध सूचना प्रणालियां और रिपोर्टें भी हैं, प्राधिकरण द्वारा ज़ारी किये गए अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों या किसी मार्गदर्शक सिद्धांतों या निर्देशों या मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के आधार पर प्रक्रिया स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है । केन्द्रिय अभिलेखापाल अभिकरण को नोडल कार्यालयों, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को समय-समय पर या जैसी अपेक्षा की जाए, विभिन्न रिपोर्टों या सूचना देना अपेक्षित होगा । केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा तैयार की गयी विभिन्न प्रकार की प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्टों में निम्नलिखित होगा-

(क) दैनिक आधार पर ज़ारी किये गए स्थायी निवृत्ति खाता संख्यांक की और उन स्थायी निवृत्ति खाता संख्यांक की संख्या, जिनके लिए अनुरोध पत्र लंबित है ;

(ख) न्यासी बैंक के पास जमा निधियां ;

(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाय लेखांकन नेटवर्क या पेंशन निधि या न्यासी बैंक सम्बन्धी गलती या विसंगति अथवा अपवाद सम्बन्धी रिपोर्टें ;

(घ) स्कीम अभिधान रिपोर्ट ;

(ङ) मासिक या तिमाही या आवधिक रिपोर्टें, जैसे विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(च) सेवा स्तरीय करार अनुपालन रिपोर्टें (सेवा स्तरीय और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना कार्यपालन) ;

(छ) शिकायतों की प्रास्थिति (नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व, अन्य सेवा प्रदाता) ;

(ज) शिकायतों की निस्तारण प्रास्थिति रिपोर्टें ;

(झ) पेंशन निधियों, नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व, अन्य सेवा प्रदाताओं की कार्यपालन रिपोर्टें ;

(ञ) पेंशन निधियों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और अन्य पणधारियों के सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्टें;

(ट) पेंशन निधियों, नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व, अन्य सेवा प्रदाताओं की गलतियों, चूकों और विसंगतियों से सम्बंधित रिपोर्टें ;

(ठ) ऐसी कोई अन्य रिपोर्टें, जिनकी प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपेक्षा की जाए।

इन रिपोर्टों को तैयार किये जाने की कार्रवाई स्वचालित और प्रणाली संचालित होगी और उपयुक्त संपरीक्षा के साथ होगी। इस प्रकार डिजाइन किये गए आवेदन में विभागों, प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए उस दृष्टिकोण का उपबंध होगा जिससे उनकी उन रिपोर्टों तक स्वतः पहुंच हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, आवेदन में केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण डाटाबेस में अंतर्विष्ट विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में अनुयोग करने के लिए आवश्यक कृत्यकरणों का उपबंध भी होगा। अनुयोग के परिणाम वांछित प्ररूपों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की अपेक्षाओं के अनुसार निर्यात योग्य होंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ऐसी किसी अन्य सूचना/स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा जो अंतरापृष्ठ के माध्यम से उससे अपेक्षित हो।

(XIV) विनियम 22 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

22. सेवा फीस और प्रभार- (1) इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सेवाएँ, अभिदाताओं को प्रदान करने के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण सेवा प्रभार, ऐसे तरीके और रीति से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाए, संगृहीत करने हेतु पात्र होगा, किन्तु ऐसे शुल्क या प्रभार, प्राधिकरण द्वारा शुरू की जाने वाली मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया द्वारा, ऐसे मूल्य अन्वेषण के लिए दिशानिर्देशों को ज़ारी करने के पश्चात् निर्धारित किये जाएंगे।

(2) उप-विनियम (1) के तहत वर्णित प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा शुरू की जाएगी जो इन प्रावधानो की अधिसूचनाओं या विनियमों तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष बाद, पिछली ऐसी मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के अंत से होगा।

परन्तु ऐसे आवेदक के मामले में जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के पश्चात्, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के रूप में, उन मूल्यों पर जिन्हें प्राधिकरण द्वारा मूल्य अन्वेषण पर दिशानिर्देश ज़ारी करते हुए निर्धारित किया गया है तथा जब तक कि नई मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया द्वारा अगला निर्धारण न कर लिया जाए के अनुसार अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

परन्तु, प्राधिकरण के साथ, अधिनियम तथा उसके तहत आने वाले विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् चयन प्रक्रिया द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई मौजूदा केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, जिस आधार पर तथा जिस अवधि के लिए मूलरूप से रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था, उसी मूल्य पर सेवाएँ ज़ारी रखेगा। मूल अवधि की समाप्ति पर, ऐसा केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण उन मूल्यों पर सेवाएं प्रदान करने का हकदार होगा, जो कि प्राधिकरण द्वारा मूल्य अन्वेषण पर ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुसार हों।

(XV) अनुसूची I निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी :

अनुसूची I

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015

(विनियम 9 (3) देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण सं...............

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, की धारा 27 की उपधारा 3, धारा 21 की उपधारा (1) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद् द्वारा .... को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के रूप में .... के दिन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करता है। यह प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक की आवेदक द्वारा अभ्यर्पित तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत न किया जाए या प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त न कर दिया जाए।

इस केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण कोड........................ है।

दिनांक :

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी

हेमंत जी.कांट्रेक्टर , अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./112/18-19]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 27 अप्रैल 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2018

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. PFRDA/12/RGL/139/7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e),(j), (k), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 namely,: ─

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015:-

(I) Existing Regulation 3 shall be substituted as follows:

3. Application for grant of certificate of registration and application fee.—(1) Any applicant meeting the eligibility criteria specified in these regulation, may apply for grant of a certificate of registration as a central recordkeeping agency, in such application form as may be determined by the Authority.

(2) The registrations granted to existing central recordkeeping agency(s), prior to the notification of this amendment, shall continue to remain valid and be in force for all purposes, for the original period so granted, along with any extension thereof, subject however that such central recordkeeping agency(s) may seek fresh registration in accordance with process specified under these amendments to regulations.

Provided, further that such existing central recordkeeping agency shall make an application as specified in these regulations and comply with the provisions of the Act and these regulations. The existing central recordkeeping agency shall pay all fees, so stipulated for the purpose, including the annual fee as specified under these regulations.

(3) The Authority shall examine the eligibility of the applicants in terms of the provisions of the Act, rules and these regulations and any other criteria, so specified.

(4) The allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be issued by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. The central recordkeeping agency shall at all times comply with the provisions of the Act or the rules or the regulations made or directions, circulars or guidelines issued by the Authority there under. The central recordkeeping agency shall also ensure compliance of the quality of subscriber service or services to other intermediaries and ensure that intermediation and other operational costs under the National Pension System or any other pension scheme regulated or administered by the Authority are economical and reasonable.

(5) A non-refundable application fee of rupees ten lakh shall be paid by an applicant along with its application to the Authority payable at New Delhi.

(II) Existing Regulation 4 shall be substituted as follows:

4. Eligibility criteria.— The eligibility criteria as specified under this regulation, shall have to be fulfilled by an applicant, seeking to obtain a certificate of registration to act as a central recordkeeping agency, on the day on which such application is presented to the Authority. The eligibility criteria, besides such other criteria, required to be fulfilled under these regulations, for grant of registration, shall be the following namely:-

(a) the applicant shall be a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Companies Act, 2013 or under any other central enactment, and registered with the service tax authority and operating for the last five years in the country, preceding the date of application;

(b) the applicant should have made net profit in any three out of the last five financial years, preceding the date of application, and should not have incurred cash loss during such preceding two years;

(c) the applicant, its director, principal officer should not have been black listed by any regulatory Authority or Governments (Central and States) or should not have been convicted of any offence involving moral turpitude or of any economic offences;

(d) Information technology capabilities and sufficiently qualified and experienced manpower, as per the guidelines including the requirements of service standards issued by the Authority for the purpose.

(e) the amounts, numbers or figures, as applicable, in respect of the following criteria shall be specified by the Authority on the date of inviting applications for registration,-

(i) The applicant should have minimum Tangible net worth of Rupees hundred crores, as on the last day of the preceding financial year, and the applicant should have demonstrated experience in developing and managing technology based central administration and recordkeeping system;

(ii) The applicant should have experience of at least five years of performing central recordkeeping and administration functions;

(iii) The applicant should have experience in managing over five lakh individual accounts per year over the preceding three years, shall possess Information technology capabilities and sufficiently qualified and experienced manpower of at least hundred professional staff with at least fifty staff in the area of Operation & Technology Management;

(iv) The applicant should have experience with developing and managing technology based central administration & recordkeeping system

(v) The applicant should have minimum CMMI level three certification for the services being offered or should acquire the same within twelve months of commencement of commercial operations.

(vi) A direct or indirect cross holding by any intermediary or its sponsor under the central recordkeeping agency should be less than forty percent of the paid up capital.

(III) In Regulation 8, sub-clause(a) of sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

whether the applicant satisfies the eligibility criteria specified in these regulations and also the terms and conditions specified in regulation 4;

(IV) In Regulation 9, sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

(1) The applicant shall submit a proposal as specified under regulation 3. In order to be eligible for registration, the applicant shall be required to qualify, on the date of submission of its proposal, all the technical and commercial parameters as specified by the Authority.

(V) In Regulation 9, sub-regulation (3) shall be substituted as follows:

(3) The Authority upon being satisfied that the applicant satisfies the eligibility criteria as laid down under the Act, the rules and as specified under these regulations, including the provisions of regulation 4, shall grant a certificate of registration to the Applicant in the form specified under Schedule I and send an intimation to this effect to the applicant.

(VI) In Regulation 10, sub-clause(b) of sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

(b) it shall at all times meet the eligibility criteria and other requirements as specified under these regulations:

Provided that the Authority may impose any other conditions as it may deem fit in the interest of subscribers or orderly development of the National Pension System or any other scheme regulated or administered by it or for regulation of the working of the central recordkeeping agency and the central recordkeeping agency shall comply with such conditions.

(VII) In Regulation 10, sub-regulation(3) shall be substituted as follows:

(3) Subject to compliance with the provisions of the Act, rules and regulations, the certificate granted to an applicant shall be valid, unless surrendered by the applicant with the approval of the Authority or suspended or cancelled by the Authority, in accordance with these regulations.

(VIII) In Regulation 14, sub-regulation(1) shall be substituted as follows:

(1) An applicant granted a certificate of registration shall commence operations for which it has been authorized, within six months from the date of grant of such registration:

Provided that if the entity feels that it will not be able to commence the operations within the specified period, it may, before the expiry of the stipulated period of six months, seek an extension from the Authority, by making a written application, together with just cause to be shown.

(IX) Regulation 15 shall be substituted as follows:

15. Tenure and exit of central recordkeeping agency.—(1) Subject to compliance with the provisions of the Act, the rules and regulations, the certificate of registration, granted to a central recordkeeping agency shall remain valid, unless suspended or cancelled by the Authority, or permitted to be surrendered by such central recordkeeping agency, for just cause to be shown. In the event of cancellation, the National Pension System Trust shall at least thirty days before the date of cancellation, deliver to the central recordkeeping agency, instructions as to the disposal or transfer of the information and regulated assets held by it.

(2) The tenure of registration of the central recordkeeping agency shall be brought to an end, if the central recordkeeping agency contravenes any of the conditions or clauses stipulated in the certificate of registration, after following the due process as specified under these regulations.

(X) Regulation 16 shall stand omitted.

(XI) Regulation 17 shall be substituted as follows:

17. Process of transfer of assets in case of termination or surrender of certificate of registration.— The treatment of the regulated assets at the end of central recordkeeping agency's tenure shall be as follows:-

a. the central recordkeeping agency's software application shall be transferred at zero cost to the other central recordkeeping agency or any entity authorized for this purpose by the Authority;

b. any third party software and components off the shelf specific to the central recordkeeping agency application system, shall also be transferred at zero cost to the other central recordkeeping agency or any other entity authorized for this purpose by the Authority;

c. dedicated system-specific hardware (if any) both at the primary data center and the Disaster Recovery Center, shall be transferred as per the book value of these assets;

d. database shall be transferred to the new central recordkeeping agency or any other entity at zero cost.

e. any incidental costs on account of transfers, shall be borne by the transferor central recordkeeping agency.

(XII) In Regulation 18, Sub regulation (1) shall be substituted as follows:

18. Roles and responsibilities of central recordkeeping agency.—(1) The central recordkeeping agency shall generally be responsible for the centralized recordkeeping, administration and customer service functions for all the subscribers under the National Pension System or any scheme regulated or administered by the Authority in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder as also operational service level standards or any standard operating procedures or guidelines issued by the Authority.

(XIII) Regulation 19 shall be substituted as follows:

19. Service to stakeholders or intermediaries.—The central recordkeeping agency is required to establish necessary system and procedure, in order to facilitate record keeping, administration and customer service functions including various statements, Management Information Systems and reports across various stakeholders or intermediaries of National Pension System Architecture viz. subscribers, Trustee Bank, nodal offices (Pay and Accounts Office or Drawing and Disbursal Officer or District Treasury Officer or District Treasury Authority), point of presence, other service providers, pension funds and annuity service providers in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations, or any guidelines or directions or standard operating procedures issued by the Authority. The central recordkeeping agency shall be required to furnish various reports or information to the nodal offices, the Authority or the National Pension System Trust from time to time or as may be required. The various types of the Management Information System reports generated by the central recordkeeping agency, shall include,—

(a) number of Permanent Retirement Account Number issued on a daily basis and Permanent Retirement Account Number request pending;

(b) funds deposited with the Trustee Bank;

(c) error or discrepancy or exception reports on the National Pension System Contributions Accounting Network or pension funds or Trustee Bank;

(d) scheme preferences report;

(e) monthly or quarterly or periodic reports, as may be specified;

(f) Service Level Agreements compliance reports (service levels and Information Technology infrastructure performance);

(g) status of complaints(nodal offices, point of presence, other service providers);

(h) complaints resolution status reports;

(i) performance report of pension funds, nodal offices, point of presence, other service providers;

(j) compliance reports on pension funds and annuity service providers and other stakeholders;

(k) report on errors, lapses and discrepancies of pension funds, nodal offices, point of presence, other service providers;

(l) any other reports as required by the Authority or the National Pension System Trust.

Generation of these reports shall be automated and system driven with suitable audit trail. The application so designed shall provide a view for the Departments, the Authority or the National Pension System Trust to access the reports automatically. In addition, application should also provide the necessary functionalities for generation of queries on variety of information contained in the

central recordkeeping agency database. The query results shall be exportable to desired formats as per the requirements of the National Pension System Trust. The National Pension System Trust shall be able to demand any other information/clarification required thereof through the interface.

(XIV) Regulation 22 shall be substituted as follows:

22. Service fees or charges.—(1) For providing services to the subscribers, as specified under these regulations, the central recordkeeping agency shall be entitled to collect service charges, in such mode and manner, as may be approved by the Authority, subject however that such fee or charges shall be determined through a price discovery process to be initiated by the Authority, after issuance of guidelines for such price discovery.

(2) The process mentioned under sub-regulation (1) shall be initiated by the Authority, upon notification of these provisions or regulations and thereafter upon conclusion of every five year period, from the last of such price discovery process.

Provided that in case of an applicant who has been granted registration, after the price discovery process, shall offer its services as a central recordkeeping agency, at such of the price, as per the guidelines on price discovery issued by the Authority and until the next determination through a fresh price discovery process.

Provided that an existing central recordkeeping agency registered with the Authority through a selection process after the notification of Act and regulations there under, shall continue to offer the services at the same price, on the basis of which such registration has been originally granted and for such period. Pursuant to expiry of the original period, such central recordkeeping agency shall be entitled to offer its services, at such of the price, as per the guidelines on price discovery issued by the Authority.

(XV) Schedule I shall be substituted as follows:

SCHEDULE I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Central recordkeeping agency) Regulations, 2015

{See regulation 9 (3)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred under sub-section 3 of Section 27, read with sub-section (1) of Section 21 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the Authority hereby grants this certificate of registration to __________________________ as a central recordkeeping agency on this day of _______________________. This certificate shall remain valid unless surrendered by the applicant and accepted by the Authority or suspended or cancelled by the Authority.

Registration Code for this Central Recordkeeping Agency is ______________________

Date:

Place: Authorised Signatory

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./112/18-19]

Footnote:

1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 27th April, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/7.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.02 18:12:44 +05'30'